न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धौजक, RAS

अपील संख्या 53 / 2023

1 नेमीचन्द पुत्र पूरण जाति मेघवाल निवासी किसारी तन हनुमानपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 केशा उर्फ केशर पुत्र पूरण जाति मेघवाल निवासी किसारी तन हनुमानपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
2 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मण्डावा जिला झुंझुनू जरिये प्रबन्धक।
3 तहसीलदार मण्डावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2020
बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू जिला झुंझुनू दावा
नेमीचन्द बनाम केशा उर्फ केशर वगैरह दावा बाबत घोषणार्थ
विभाजन एवं दुरूस्ती रिकार्ड मुकदमा नम्बर 139 / 2019

उपस्थिति :

1. किरण बियाला, अधिवक्ता अपीलांट
2. रेस्पोडेंट केशा स्वंय उपस्थित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 21.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 139/2019 में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम किशारी तन हनुमानपुरा तहसील झुंझुनू की भूमि खसरा नम्बर 246,247,248 में से 1/2 हिस्से की पुश्तेनी आधार पर खातेदारी उदघोषणा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेंट ने सहमती प्रकट कर वाद डिक्री करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पारित निर्णय की अपीलांट को उसके अधिवक्ता ने समय पर जानकारी नही दी है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत है। विवादित भूमि केशा की खातेदारी में दर्ज है। केशा व नेमीचन्द पूर्ण के पुत्र है। केशा ने सहमती का जवाब दावा प्रस्तुत किया है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं सहमती के आधार पर वाद वादी साबित है। विचारण न्यायालय ने इसके उपरान्त भी वाद खारिज कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात से यह भूमि वादी की पैतृक भूमि नहीं होना जाहिर है क्योंकि यह भूमि प्रतिवादी केशा उर्फ केशर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वादी के पिता के नाम से कोई भी भूमि दर्ज रिकार्ड नहीं होना जाहिर है। वादी अपनी वंशावली से वाद सिद्व करने में पूर्णतया असफल रहा है। केवल मात्र सहमती के आधार पर वाद वादी डिक्री नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादी अपीलांट का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर